

कार्यालय : कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण (आत्मा), साहेबगंज।
संयुक्त जिला कृषि भवन, साहेबगंज-816109

पत्रांक 523 /

साहेबगंज, दिनांक 23/7/2024 /

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
—सह—
परियोजना निदेशक, आत्मा,
साहेबगंज।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
NIC, साहेबगंज।

विषय:—

वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत आत्मा ("कृषि"), साहेबगंज से संबंधित लोक कल्याणकारी योजनाओं की सूचना NIC, साहेबगंज के Website में जारी करने के संबंध में।

प्रसंग:—

भवदीय पत्रांक 868/गो0, साहेबगंज, दिनांक 08.07.2024।

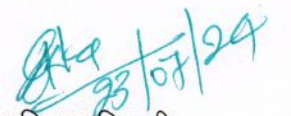
महाराज,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत आत्मा ("कृषि"), साहेबगंज से संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सूचना NIC, साहेबगंज के Website में जारी करने हेतु प्रकाशन सामग्री हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि NIC, साहेबगंज के Website में सूचना जारी करने की कृपा की जाय।

अनु0:—यथोक्त, 07 (सात) पन्नों में।

विश्वासभाजन



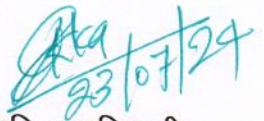
जिला कृषि पदाधिकारी,
—सह—
परियोजना निदेशक, आत्मा,
साहेबगंज।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा), साहेबगंज

वित्तीय वर्ष 2024-25 में SMAE/ आत्मा योजना अंतर्गत किसानोपयोगी गतिविधियाँ –

क्र०.	गतिविधि का नाम	लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	कृषक प्रशिक्षण		
a)	अन्तर राज्यीय	01	इसके अंतर्गत 25 कृषकों को 05 दिनों का दूसरे राज्य के कृषि संस्थान यथा- DRPCA, Pusa, Samastipur में मधुमक्खी पालन विषय पर प्रशिक्षण कराया जाना है।
b)	राज्यकीय प्रशिक्षण	01	इसके अंतर्गत 25 कृषकों को 05 दिनों तक राज्य के दूसरे जिले के कृषि संस्थान यथा दिव्यायान कृषि विज्ञान केंद्र, मोराबादी, राँची में मुर्गी पालन/ बत्तख पालन आदि विषय पर प्रशिक्षण किया जाना है।
c)	जिले के अन्दर	10	i) आवासीय- इसके अंतर्गत प्रति इकाई 30 कृषकों को 03 दिनों तक प्रशिक्षण। ii) गैर आवासीय- इसके अंतर्गत प्रति इकाई 48-50 कृषकों को 03 दिनों तक विभिन्न विषयों यथा- मशरूम की खेती/ मोटे अनाज की खेती/ प्रति बूँद अधिक फसल/ मिट्टी जाँच आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है।
2	प्रत्यक्ष		
a)	कृषि क्षेत्र	52	इसके तहत किसानों को बीज, IPM/INM देकर उन्नत विधि से खेती कराया जाता है।
b)	गैर कृषि क्षेत्र	25	
3	कृषक परिभ्रमण		
a)	अन्तर राज्यीय	01	25 कृषकों को 05 दिनों का दूसरे राज्य के कृषि संस्थान यथा- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर में कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक सिखाने के लिए ले जाया जाता है।
b)	राज्यकीय परिभ्रमण	02	इसके अंतर्गत प्रति इकाई 25 कृषकों का दल एगरोटेक किसान मेला, BAU, कांके राँची में भेजा जाना है।
c)	जिले के अन्दर	02	जिले के अन्दर उन्नत कृषि करने वाले कृषकों के खेत में/ कृषि विज्ञान केंद्र/ कृषक पाठशाला में या दूसरे प्रखण्ड के कृषकों को परिभ्रमण कराया जाता है, ताकि वे देखकर प्रभावित हो सकें एवं अपनाकर लाभान्वित हो सकें।
4 a)	कृषक समूह का क्षमता संवर्धन	09	उक्त गतिविधि के तहत महिला समूह/ कृषक समूह को प्रशिक्षण देकर कृषि उत्पादन उपलब्ध कराया जाता है।
b)	सीड मनी	01	कृषि कार्य हेतु महिला/ कृषक समूह को एक वर्ष हेतु 10,000 रुपये ग्रुप के खाते में दिया जाता है। पुनः दूसरे साल उसे वापस लेकर दूसरे समूहों दिया जाता है।
c)	खाद्य सुरक्षा समूह	09	इसके तहत महिला समूह (80%, SC/ST, महिला) को प्रशिक्षण देकर बटन मशरूम की खेती/पपीता की खेती/ मटर की खेती/ बत्तख पालन/सब्जी की खेती आदि कराया जाता है, ताकि उसके पोषण स्तर में सुधार हो सके।

5	किसान मेला –सह– कृषि प्रदर्शनी	01	जिला स्तर/ प्रखण्ड स्तर पर लाइन विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से स्टॉल एवं कृषि प्रदर्शनी लगाया जाता है ताकि अन्य किसान देखकर प्रभावित हो सकें।
6	लीफलेट पम्पलेट का मुद्रण	05	इसके तहत मशरूम की खेती/मोटे अनाज की खेती/ पपीता की खेती/ स्ट्राबेरी की खेती आदि का लीफलेट पम्पलेट में छपाई कर कृषकों के बीच वितरित किया जाता है।
7	Low Cost Publication	01	इसके तहत बैनर, बुकलेट, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का मुद्रण कराया जाता है।
8	तकनीकी फिल्म का निर्माण	01	इसके तहत मशरूम की खेती/ पपीता की खेती/ मटर की खेती आदि विषय पर लघु फिल्म बनाकर कृषकों को उक्त खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
9	किसान वैज्ञानिक अंतर मिलन	01	कृषि विज्ञान केंद्र/ लाइन विभाग/ प्रत्यक्ष संपादित करने वाले पंचायत के पंचायत भवन में कृषि वैज्ञानिक एवं कृषकों के बीच कार्यक्रम सम्पादित किया जाता है जिससे कृषकों के कृषि सम्बन्धी समस्या का समाधान हो सके।
10	कृषक गोष्ठी	18	इसके तहत प्रखण्ड स्तर पर खरीफ कार्यशाला, महिला किसान दिवस, आकांक्षी प्रखण्ड अंतर्गत कार्यक्रम, पंचायत/ गाँव में योजना की जानकारी हेतु एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित की जाती है।
11	कृषक पाठशाला	18	उक्त गतिविधि के तहत 25 कृषकों के समूह में से चयनित अध्यक्ष/संचालक के खेत में मटर की खेती/ मशरूम की खेती/ पपीता की खेती आदि का प्रत्यक्षण कराया जाता है तथा बुआई से कटाई तक विभिन्न अवस्थाओं में छह: कक्षा का आयोजन कर कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता ताकि सभी कृषक उक्त विषय में दक्ष हो सकें।


 जिला कृषि पदाधिकारी
 –सह–
 परियोजना निदेशक आत्मा,
 साहेबगंज

कार्यालय : कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरण (आत्मा), साहेबगंज।

किसान समृद्धि योजना

किसान भाईयों/बहनों को सूचित किया जाता है कि “किसान समृद्धि योजना” के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 90 प्रतिशत अनुदान पर 2 HP एवं 5 HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट चलन्त सिंचाई इकाई को व्यक्तिगत किसान/कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह (JSLPS पंजीकृत)/Farmers Producer Organization (FPO)/Farmer Producer Company (FPC)/LAMPS/PACS के सदस्यों को दिया जाना है।

- उक्त योजना के लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रखण्ड स्तर पर किया जायेगा।
- लाभुकों को आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
- साथ ही उक्त योजना का कार्यान्वयन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है।
- ऑनलाईन पोर्टल विकसित होने की प्रत्याशा में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा लाभुकों के चयन की कार्रवाई पूर्ण कर ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ताकि ऑनलाईन पोर्टल विकसित होते ही उक्त पोर्टल के माध्यम से आवेदक वांछित सभी कागजात ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।

➤ आवेदक की पात्रता –

- व्यक्तिगत किसान/कृषक समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य/शेयर होल्डर झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो।
- कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह (JSLPS पंजीकृत)/FPO/FPC/LAMPS/PACS का पंजीकृत कार्यालय झारखण्ड राज्य में होना चाहिए।
- किसान/सदस्य/शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान/सदस्य/शेयर होल्डर के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होंगे।
- किसान/परिवार/समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं कृषि योग्य जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए।
- आधार लिंक मोबाईल नं0 एवं राशन कार्ड होना चाहिए।

➤ आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज –

(क) व्यक्तिगत किसान को इस योजना के लिए निम्न दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा –

- 1). जमीन का मालगुजारी रसीद।
- 2). वंशावली का शपथ पत्र/JRFRY से निबंधित किसान।
- 3). आधार कार्ड का फोटो कॉपी।
- 4). बैंक पासबुक का फोटो कॉपी।
- 5). आधार लिंक मोबाईल नं0 एवं राशन कार्ड।

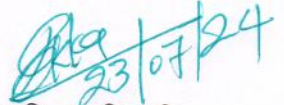
(ख) SHGs/FPO/FPC/LAMPS/PACS के लिए निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा –

- 1). संस्था पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
- 2). अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाईल नं०।
- 3). यूजर ग्रुप के सदस्यों का आधार कार्ड।
- 4). जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि का मालगुजारी रसीद।
- 5). संस्था का बैंक खाता।

➤ निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे –

- 1). बटाईदार किसान।
- 2). अगर कोई किसान का परिवार में कोई संवैधानिक पद पर हो।
- 3). राज्य/केन्द्र सरकार के साथ-साथ पीओएसओयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी।
- 4). डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर एकाउण्ट, आर्किटेक्ट एवं वकील जैसे प्रोफेशनल।
- 5). सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर)।
- 6). कृषक समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य का अलग से आवेदन अगर समूह आवेदन कर रहा है और सदस्य का भी नाम आवेदन में है।
- 7). अन्य किसी विभाग/संस्था से समरूप सिंचाई योजना से आच्छादित लाभुक एवं उनके परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- 8). काली सूची में दर्ज किसान उत्पादन समूह/किसान उत्पादन कम्पनी सहभागी समिति आदि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

विशेष जानकारी के लिए परियोजना निदेशक, आत्मा, साहेबगंज/उप परियोजना निदेशक, आत्मा, साहेबगंज/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।



जिला कृषि पदाधिकारी,

—सह—

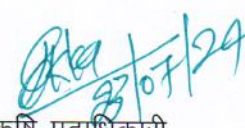
परियोजना निदेशक, आत्मा,
साहेबगंज।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में साहेबगंज जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत पाँच प्रकार की उप योजनाएँ संचालित की जा रही है - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन, तेलहन, मोटे अनाज, न्यूट्रीसीरियल तथा धान। उक्त योजना के तहत संकुल प्रत्यक्षण (खरीफ एवं रबी फसल), 50% अनुदान पर बीज वितरण, बीज उपादान कार्यक्रम हेतु रुपये 5000/- प्रति क्वी0 का वित्तीय सहायता, INM/IPM के वितरण पर Incentive तथा 50% अनुदान पर कृषि यन्त्रों का वितरण आदि कार्यक्रम संपादित किया जाता है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन	लक्ष्य (हे0 में)	क्र0 सं0	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- तेलहन	लक्ष्य (हे0 में)
	संकुल प्रत्यक्षण			संकुल प्रत्यक्षण	
I	अरहर	12	I	मूंगफली	10
II	उरद	15	II	सरसों	170
III	मूँग	6	III	तीसी	10
IV	चना	72		मधुमक्खी पालन में प्रत्यक्षण	
V	मसूर	52	I	RLM With Bee Keeping	2
	फसल प्रणाली में प्रत्यक्षण		II	IPM Demonstration	1
I	धान-चना	24			
II	धान-मसूर	11			
	अंतरवर्ती प्रत्यक्षण				
I	अरहर +मक्का	31			

क्र0 सं0	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- धान	लक्ष्य (हे0 में)	क्र0 सं0	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- मोटे अनाज	लक्ष्य (हे0 में)
	संकुल प्रत्यक्षण			संकुल प्रत्यक्षण	
I	श्री विधि का संकुल प्रत्यक्षण	14	I	मक्का	50
II	संकर धान का संकुल प्रत्यक्षण	9	II	मक्का+अरहर	5
III	सूखा रोधी का संकुल प्रत्यक्षण	17		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- न्यूट्रीसीरियल	
	फसल प्रणाली के प्रत्यक्षण			संकुल प्रत्यक्षण	
I	धान-चना/गरमा मूँग	9	I	मडुवा/रागी	5
II	धान/मसूर/गरमा मूँग	1			


 23/07/24
 जिला कृषि पदाधिकारी
 -सह-
 परियोजना निदेशक आत्मा,
 साहेबगंज।

IPM/INM के वितरण पर Incentive

(लक्ष्य-हे० में)

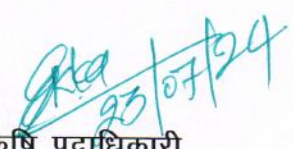
क्र०	Intervention	Assistance	NFSM- Pulse	NFSM- Oilseed	NFSM- Nutricereal	NFSM- Coarse Cereal	NFSM- Rice	Total
1	Micro Nutrient (Zn, B, Mo, etc)	रु 500/- प्रति हे० या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	530	-	1	50	145	726
2	Gypsum/ Sulphar	रु 750/- प्रति हे० या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	389	115	-	-	-	504
3	Lime/ Dolomite/ Pyrite	रु 1000/- प्रति हे० या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	353	-	-	-	60	413
4	Bio-fertilizer	रु 300/- प्रति हे० या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	247	95	1	85	-	428
5	Distribution of Plant Protection Chemical	रु 500/- प्रति हे० या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	318	55	2	80	91	546
6	Weedicide	रु 500/- प्रति हे० या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	283	-	2	20	23	328

अनुदान पर कृषि यन्त्र का वितरण

क्र०	Intervention	Assistance	NFSM- Pulse	NFSM- Oilseed	NFSM- Nutricereal	NFSM- Coarse Cereal	NFSM- Rice	Total
1	Power knapsack Sprayer for SC/ST/ Women Farmer	रु 3100/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	70	20	-	-	2	92
2	Power knapsack Sprayer for Other Farmer	रु 2500/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	30	9	-	-	1	40
3	Manual Sprayer for SC/ST/ Women Farmer	रु 750/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	25	3	2	-	2	32
4	Manual Sprayer for Other Farmer	रु 600/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	10	1	2	-	1	14
5	Rotavator for SC/ST/ Women Farmer	रु 42000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	5	11	-	-	1	17
6	Rotavator for Other Farmer	रु 34000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	3	5	-	-	-	8
7	Multi Crop Thresher for SC/ST/ Women Farmer	रु 1,00,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	1	-	-	-	-	1
8	Multi Crop Thresher for SC/ST/ Women Farmer	रु 80,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	1	-	-	-	-	1
9	Pumpset	रु 10,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	45	30	-	-	10	85

R

10	Delivery Pipe	For HDPE, Rs 50/ Hec For PVC, Rs 35/ Ha Laminated Wooden lay Rs 20/- Flat Tube	710 meter	365 meter	-	-	262 meter	1337 meter
11	Threshing Floor (30 feet X30 feet)	रु 57,500/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	11	-	-	-	1	12
12	Mini Dal Mill	रु 9,500/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	1	-	-	-	-	1
13	Maize Sheller for SC/St/ Women Farmer	रु 10,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	-	-	2	-	2
14	Maize Sheller for Other Farmer	रु 8,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	-	-	2	-	2
15	Manual Operated Cultivator for SC/ST/ Women Farmer	रु 10,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	1	-	-	-	1
16	Manual Operated Cultivator for Other Farmer	रु 8,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	1	-	-	-	1
17	Seed Treating Drum For SC/ST/ Women Farmer	रु 10,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	2	-	-	-	2
18	Seed Treating Drum For Other Farmer	रु 8,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	1	-	-	-	1
19	Conoweeder for SC/ST/ Women Farmer	रु 1200/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	-	-	-	1	1
20	Conoweeder for Other Farmer	रु 1,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	-	-	-	1	1
21	Powerweeder for SC/ST/Women Farmer	रु 25,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	-	-	-	2	2
22	Powerweeder for Other Farmer	रु 20,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	-	-	-	1	1
23	Mini Rice Mill	रु 40,000/- या दाम का आधा, दोनों में से जो कम हो	-	-	-	-	2	2


 जिला कृषि पदाधिकारी
 -सह-
 परियोजना निदेशक आत्मा,
 साहेबगंज।